



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 17.10.2026



यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई-

जनपदीय पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 285 वाहनों का चालान किया गया एवं 02 वाहन सीज किया गया।

शांति भंग की आशंका के मद्देनजर की गयी कार्रवाई-

क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु धारा 170 BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालान किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 77 है।

अन्य निरोधात्मक कार्रवाई-

धारा 34 पुलिस एक्ट- 06 मामलों में कार्रवाई।

धारा 129जी BNSS- 01 मामले में कार्रवाई।

थानों द्वारा की गयी सराहनीय कार्रवाई-

थाना निचलौल (मु०अ०सं० 278/2026)- धारा 60/63 आबकारी अधि० के तहत अभियुक्त धुपिया देवी (पत्नी स्व० भुटेली, निवासी गोड़हवा टोला बोरा, थाना निचलौल) के कब्जे से 25 पाउच अवैध कच्ची नेपाली शराब बरामद की गई।

थाना निचलौल (मु०अ०सं० 277/2026)- धारा 60/63 आबकारी अधि० के तहत अभियुक्त सिकन्दर कुमार (पुत्र राजदेव हरिजन, निवासी बैरा टोला, थाना निचलौल) के पास से 41 पाउच अवैध कच्ची नेपाली शराब बरामद की गई।

थाना भिटौली (मु०अ०सं० 227/26)- धारा 60(1) आबकारी अधि० के तहत अभियुक्त शारदा (पत्नी संतोष गुप्ता, निवासी लक्ष्मीपुर शिवाला, थाना भिटौली) के कब्जे से 16 अदद अवैध बंटी बबली शराब बरामद की गई।

थाना सोनौली (मु०अ०सं० निल/2026)- धारा 113 कस्टम अधि० के तहत अभियुक्त मोनालालसा (पुत्र राम अयोध्या शाह, निवासी शिकारगंज सिरौना, मोतिहारी, बिहार) के पास से 10 पैकेट में 200 डिब्बी खुखरी सिगरेट बरामद की गई।

थाना निचलौल (मु०अ०सं० निल/2026)- 3/4 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत अभियुक्त जयहिन्द भारती (पुत्र पूर्णवासी, निवासी रुद्रौली, थाना निचलौल) के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

विवेचना निस्तारण एवं अन्य विवरण-

लंबित विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कुल 17 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।